प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 12.01.2025

थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ

एसटीएफ यूनिट कानपुर टीम द्वारा थाना दिलीपपुर पुलिस के सहयोग से 50 हजार रूपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

50 हजार रूपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार
धारा 310(2), 317(3), 217, 318(4), 61(2) बीएनएस थाना दिलीपपुर में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
थानाक्षेत्र दिलीपपुर के दोहरी तिराहा इटवा नहर से गिरफ्तार
दिनांक 25.07.2024 को सुबह एक व्यक्ति उम्र करीब 30-35 वर्ष अचेत अवस्था मे ग्राम रसोईयां मे सडक किनारे पडा मिला था
अचेत व्यक्ति की पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से की गयी थी
ट्रक पर लदे व्यापारी का माल (500 बोरी गेंहू) को गबन करने के इरादे से बनायी गयी थी योजना
गिरोह के 06 अभियुक्त पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजे गये हैं।

प्रतापगढ़ -
दिनांक 25.07.2024 को सुबह में ग्राम रसोइया में सड़क किनारे 01 व्यक्ति अचेत अवस्था में पाये जाने पर थाना दिलीपपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मैनूअल/वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर घटना के संबंध में पीड़ित द्वारा अपने 06 साथियों के साथ मिलकर थाना कुंडा क्षेत्र के एक थोक व्यापारी के 500 बोरी गेंहू जो आरोपी के ट्रक पर लदकर विजय रोलर फ्लोर मिल हैदराबाद के लिए बाबूगंज कुण्डा से चित्रकूट के रास्ते ले जाया जाना था। आरोपियों द्वारा उक्त 500 बोरी गेंहू को गबन करने की योजना बनायी गयी थी।

दिनांक 12.01.2025 को एसटीएफ यूनिट कानपुर टीम उ0नि0 राहुल परमार मय हमराह हे0कां0 अरविन्द सिंह, हे0कां0 चन्द्र प्रकाश सिंह, हे0कां0 अशोक राजपूत, कां0 सत्यम यादव, कां0 धर्मेन्द्र प्रताप व थानाध्यक्ष दिलीपपुर उ0नि0 श्री शत्रुघन वर्मा मय हमराह उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार सिंह, हे0 कां0 सुभाष विश्वकर्मा, कां0 विनोद कुमार द्वारा मु0अ0सं0 135/24 धारा 310(2), 317(3), 217, 318(4), 61(2) बीएनएस थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ में वाँछित 50 हजार रूपये का इनामिया अभियुक्त शमसाद पुत्र मुस्तफा उर्फ कुचुरी निवासी ग्राम मुनी का पुरवा थाना रानीगंज थाना जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 41 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

थाना दिलीपपुर पुलिस के सहयोग से दिनांक 12.01.2025 को एसटीएफ यूनिट कानपुर टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मुखबिर की सूचना के आधार पर थानाक्षेत्र दिलीपपुर के दोहरी तिराहा इटवा नहर से

गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की पतारसी सुरागरसी/ गिरफ्तारी में जेठवारा पुलिस टीम को सहयोग प्राप्त हुआ।
पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज रेंज प्रयागराज महोदय द्वारा शातिर अभियुक्त शमसाद पुत्र मुस्तफा उर्फ कुचुरी उपरोक्त की गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:-
1- शमसाद पुत्र मुस्तफा उर्फ कुचुरी निवासी ग्राम मुनी का पुरवा थाना रानीगंज थाना जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 41 वर्ष

आपराधिक इतिहासः-
शमसाद पुत्र मुस्तफा उर्फ कुचुरी निवासी ग्राम मुनी का पुरवा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 41 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
1.मु0अ0सं0 579/21 धारा 323, 452, 504, 506 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
2. मु0अ0स0 84/15 धारा 147,148, 149, 452, 323, 325, 504, 506 भादवि थाना रानीगंज प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 223/15 धारा 147, 148, 149, 308, 323, 324, 325, 354(क), 427, 452, 504, 506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट व 3(1)10 एससी एसटी एक्ट थाना रानीगंज प्रतापगढ़
4. मु0अ0सं0 135/24 धारा 310(2), 317(3), 217, 318(4), 61(2) बीएनएस थाना दिलीपपुर प्रतापगढ़

गिरफ्तारी पुलिस टीम-
एसटीएफ यूनिट कानपुर टीम उ0नि0 राहुल परमार मय हमराह हे0कां0 अरविन्द सिंह, हे0कां0 चन्द्र प्रकाश सिंह, हे0कां0 अशोक राजपूत, कां0 सत्यम यादव, कां0 धर्मेन्द्र प्रताप।

पुलिस टीम- थानाध्यक्ष दिलीपपुर उ0नि0 श्री शत्रुघन वर्मा मय हमराह उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार सिंह, हे0 कां0 सुभाष विश्वकर्मा, कां0 विनोद कुमार

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, पीडिता/ अपहृता सकुशल बरामद।

थाना मानिकपुर पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र के गोतनी चौराहे से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-
आरोपीगणों द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री का अपहरण करने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मानिकपुर में दिनांक 11.01.2025 को अन्तर्गत 137(2), 87 बी0एन0एस0 का अभियोग बनाम 02 नामजद व 2-3 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0ॅ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मानिकपुर के प्रभारी निरीक्षक दीप नारायण के नेतृत्व में व0उ0नि0 रामनारायण सिंह मय हमराह का0 रामलखन, का0 विपिन कुमार व म0का0 संध्या यादव द्वारा दिनांक 12.01.2025 को देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना मानिकपुर में अन्तर्गत 137(2), 87 बी0एन0एस0 से संबंधित 01 अभियुक्त अंशू उर्फ अरबाज पुत्र मो0 वसीम उर्फ बबाली निवासी ग्राम गोतनी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र मानिकपुर के गोतनी चौराहे से गिरफ्तार किया गया। साथ ही पीडिता/ अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त विवरण-
अंशू उर्फ अरबाज पुत्र मो0 वसीम उर्फ बबाली निवासी ग्राम गोतनी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
व0उ0नि0 रामनारायण सिंह मय हमराह का0 रामलखन, का0 विपिन कुमार व म0का0 संध्या यादव थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना बाघराय पुलिस द्वारा 01 गोतस्कर को किया गया गिरफ्तार,

थाना बाघराय पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र बाघराय के ईट भट्ठा गोगौर के पास जंगल से गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 08 राशि गौवंश बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बाघराय प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 देवीदयाल कश्यप मय हमराह उ0नि0 राजेश शुक्ला, का0 शीशपाल, का0 धर्मेन्द्र द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व संदिग्ध वाहन,

तलाश वांछित व वारण्टी अभियुक्त, रात्रि गश्त व रोकथाम के दौरान मुखबिर की सूचना पर ईट भट्ठा गोगौर के पास जंगल से से दि0-12.01.2025 को 01 गोतस्कर योगेन्द्र प्रताप उर्फ रवि यादव पुत्र सुभाष चन्द्र यादव निवासी ग्राम बहोरिकपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को 08 राशि गोवंश के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0सं0 12/2025 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम 1955 व 11च पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01- योगेन्द्र प्रताप उर्फ रवि यादव पुत्र सुभाष चन्द्र यादव निवासी ग्राम बहोरिकपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-
01. कुल 08 राशि गौवंश

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 देवीदयाल कश्यप मय हमराह उ0नि0 राजेश शुक्ला, का0 शीशपाल, का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय हमराह हे0का0 अजय प्रजापति द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान एस0टी0 नं0 495/2017 मु0अ0सं0 158/2017 धारा 147/452/323/504/506 भादवि व 3 (1) X SC/ST ACT थाना लीलापुर से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्तों 01- राकेश कुमार ओझा, 02- राजेश कुमार ओझा पुत्रगण स्व0 चन्द्रशेखर ओझा निवासीगण ग्राम लीलापुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों का विवरण-
01- राकेश कुमार ओझा पुत्र स्व0 चन्द्रशेखर ओझा नि०ग्रा० लीलापुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
02- राजेश कुमार ओझा पुत्र स्व0 चन्द्रशेखर ओझा नि०ग्रा० लीलापुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय हमराह हे0का0 अजय प्रजापति थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह का0 मनोज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान केस नं0 217/04 धारा 147, 323, 325, 504, 506 भादवि0 थाना रानीगंज से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त नन्हे पुत्र सत्यनारायन निवासी ग्राम रघवापुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-
01- नन्हे पुत्र सत्यनारायन निवासी ग्राम रघवापुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय का0 मनोज कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा चायनीज मांझा के विरूद्ध चलाया जा रहा है विशेष अभियान-

जीवन रक्षार्थ पतंगबाजी में इस्तेमाल किए जाने वाले चाइनीज मांझे के खिलाफ चलाया अभियान

चायनीज मांझे से बचें और सुरक्षित रहें।

प्रतापगढ़ -
आगामी त्यौहार व चाइनीज मांझे के बिक्री को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय के पर्यवेक्षण में जीवन रक्षार्थ चाईनीज मंझा बेचने वालों के विरुद्ध चलाया जा रहा है अभियान-

उक्त अभियान में समस्त थाना प्रभारी द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत मांझो की दुकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान में जिन दुकानदारो द्वारा मांझो को मुनाफा कमाने के लिए इसे चोरी छिपे बेचते हैं या वे दुकानदार जिनके पास चाइनीज मांझे की डोर होगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत प्रतापगढ़ पुलिस ने पतंगबाजी में इस्तेमाल किए जाने वाले चाइनीज मांझे के खिलाफ एक खास अभियान चला रहा है। बता दें कि चाइनीज मांझे पर देश भर में प्रतिबंध के बावजूद इसे विभिन्न बाजारों में अवैध रूप से बेचा जा रहा है। चाइनीज मांझे से जुड़ी घटनाओं की संख्या में कमी लाने हेतु प्रतापगढ़ पुलिस अधिक सतर्कता बरत रही है। ताकि इससे होने वाले हादसों पर लगाम लगाया जा सके।

आमजन से अपील की जाती है कि अपने दोस्तों और परिवार को चायनीज मांझे के खतरों के बारे में बताएं। पतंग उड़ाने के लिए सुरक्षित धागे का इस्तेमाल करें। चायनीज मांझा बहुत तेज होता है और यह लोगों को गंभीर रूप से घायल कर सकता है व चायनीज मांझा पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता है। किसी बाजार या दुकान पर यदि चायनीज मांझा की बिक्री की जा रही है तो आप अपने नजदीकी थाना पर इसकी सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जायेगा। आपकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। चायनीज मांझे से बचें और सुरक्षित रहें।